

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0,
चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103001922016

दांडिक प्रकरण क.-310 / 2016

संस्थापित दिनांक03.09.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
विरुद्ध
01-बिक्की उर्फ जयदेव यादव पुत्र जण्डेल सिंह यादव आयु 20 वर्ष निवासी मलियाना मौहल्ला चंदेरी <div>.....आरोपी.....</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी..... द्वारा :- श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी असीर अहमद ने दिनांक 09.05.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 08.05.16 की रात्रि 23:30 बजे वे लोग अपने घर पर टीबी देख रहे थे घर का दरवाजा खुला हुआ था तब अचानक घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। जाकर देखने पर पाया कि आरोपी अंदर घुस आया है तथा आरोपी उन्हे देखकर सिंधिया स्कूल की दीवाल पर चढ़कर भाग गया। उसको चारो तरफ से घेरकर आरोपी को स्कूल के मैदान में पकड़ा था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी विक्की उर्फ जयदेव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 214/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 456 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी विक्की के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। जिसमें आरोपी ने स्वयं को झूठा फसाया जाना बताया है। प्रकरण में आरोपी द्वारा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी दिनांक 08.05.16 को 23:30 बजे फरियादी के मकान में रात्रि में प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन गृहअतिचार कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 असीर अहमद, अ0सा02 लईक, अ0सा03 भैयालाल, अ0सा04 रहीम, अ0सा05 देवेन्द्र, अ0सा06 रामविनायक की

मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 असीर ने अपने कथन में बताया है कि वो आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को रात्रि 11:30 बजे आरोपी उनके घर में घुस आया था। उक्त साक्षी के अनुसार गेट खुलने की आवाज सुनकर उसका भाई लईक आए और उसने देखा कि एक व्यक्ति मुंह पर सफेद कपडा बांधे हुए अंदर आ गया है उक्त साक्षी के अनुसार जब वे चिल्लाए तो आरोपी नल के पाइप पर पैर रखकर भाग गया तथा सिंधिया स्कूल के वाड़े में चला गया जहां पर टाली के पहिए के पास बैठा था। उक्त साक्षी के अनुसार दीवानजी रास्ते में मिल गये थे। और आरोपी को पकडा था तथा प्र0पी01 की रिपोर्ट लेख कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी को प्र0पी02 के अनुसार गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि घटना स्थल पर मेडिकल वाले भैयालाल एवं दीवानजी आ गये थे। अ0सा02 लईक ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी अंदर आ गया था और चिल्लाने पर स्कूल की वाउडी से कूदकर भाग गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी टैक्टर के नीचे बैठा था और उन लोगो ने आरोपी को पकडा था। उक्त साक्षी के अनुसार दीवानजी मौके पर आ गये थे।

08— अ0सा04 जहीन ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी घर के कमरे में घुस गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी चैनल व दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला गया था। उक्त साक्षी ने घटना का समय रात्रि 11:30 बजे बताया है। उक्त साक्षी ने भी अपने कथन में बताया है कि चिल्लाने पर आरोपी भागा था। और वह घुसा था तो वह चोरी की नियत से घुसा था। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी को उसने घर की दीवाल पर चढते देखा था। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि देवेन्द्र दीवाजनी मौके पर आगये थे। अ0सा03 भैयालाल ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को चोर चोर की आवाज सुनाई दी थी। अ0सा05 देवेन्द्र ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह दिल्ली दरवाजे से थाने की ओर जा रहा था। तो चिल्लाने की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुचा जहां

पर बहुत से लोग थे। उक्त साक्षी के अनुसार लोगो ने बताया कि आरोपी फरियादी के घर में चोरी की नियत से घुसा था और उसे सिधिया स्कूल के पास पकड़ा है। और फिर वे लोग आरोपी को थाने ले कर गये थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसे फरियादी ने बताया था कि आरोपी उनके घर में चोरी की नियत से घुसा था। अ0सा06 रामविनायक ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी03 तैयार किया गया है। तथा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये हैं। उक्त साक्षी अनुसार उसने आरोपी को प्र0पी02 के अनुसार गिरफ्तार किया है।

09— प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि घटना दिनांक को आरोपी फरियादी के घर में रात्रि में घुसा था। उल्लेखनीय है कि मामले के फरियादी अ0सा01 ने स्पष्टरूप से अपने कथनों में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी रात्रि 11:30 बजे उनके घर में घुसा था। उक्त तथ्य का अनुसर्मथन अ0सा02 एवं अ0सा04 ने अपनी साक्ष्य से किया है। अ0सा02 एवं अ0सा04 ने अपने कथनों में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी फरियादी के घर में रात्रि में घुसा था। तथा चिल्लाने पर वह भागा था तथा उसे सिधिया स्कूल के ग्राउंड में टाली के नीचे पकड़ा था। इस संबंध में अ0सा01, अ0सा02, अ0सा04 की साक्ष्य अखण्डनीय एवं तटस्थ रही हैं। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन का मामला झूठा एवं संदेहास्पद है। उक्त तीनों ही साक्षीगण ने अपने कथन में बताया है कि घटना स्थल पर दीवानजी आ गये थे। जिसके संबंध में अ0सा05 देवेन्द्र ने उक्त तथ्य को अपने कथनों में प्रमाणित किया है। अ0सा05 ने अपने कथनों में स्पष्टरूप से बताया है कि वह घटना स्थल पर पहुंचा था।

10— अभियोजन ने जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उससे यह प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी को घटना स्थल पर पकड़ा गया था। उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी को रात्रि 11:30

बजे फरियादी के घर में चोरी की नियत से घुसा था। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा आरोपी को मामले में झूठा फसाया गया है। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन का मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 456 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

11— आरोपी पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पुनश्च:—

12— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुल श्रीवास्तव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा आरोपी रात्रि में अपराध की नियत से घुसा था। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

13— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश

से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा. द.वि. की धारा 456 के अपराध में दो वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

14— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

16— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

17— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)